अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
साकेत नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश) – 462020
Saket Nagar, Bhopal (M.P.) – 462020

हिंदी अनुभाग

क्र. 11 / 06 / 2017–प्रशा. / एम्स / भोपाल / 1917 दिनांकः01 / 07 / 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल में अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल में सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण / आलेखन कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है जिसके अंतर्गत इसमें भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का विवरण निम्न प्रकार हैः–

पात्रताः–

संस्थान में कार्यरत सभी श्रेणियों के वे अधिकारी एवं कर्मचारीगण इस योजना में भाग ले सकते है जो अपना सरकारी काम पूर्णतः या आंशिक रूप से अथवा कुछ हद तक मूल रूप में हिन्दी में करते है। इसके लिए केवल वही अधिकारी / कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द हिन्दी में लिखेंगे। इसमें मूल टिप्पण या प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम करना आदि भी शामिल किए जाएंगे।

आशुलिपिक / टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी राजभाषा विभाग की किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते है इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक भी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

पुरस्कार वर्षः–

इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च 2021 तक विचार में ली जाएगी।

पुरस्कारों की संख्याः–

इस प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार होंगेः–

प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार)	: प्रत्येक रूपये 10,000 / –
द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार)	: प्रत्येक रूपये 7,500 / –
तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार)	: प्रत्यक रूपये 5,000 / –

पुरस्कार देने के मापदण्डः–

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक विचारों को स्पष्टतः रखने के लिए होंगे।

19

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हे 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंको का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं।

(ग) इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले प्रतियोगी को प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिंदी में लिखे गए शब्दो का लेखा–जोखा रखना होगा। प्रत्येक सप्ताह के लेखे–जोखे पर अलग से उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा–जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा–जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी को हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा–जोखा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रतिहस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग–अध्यक्ष स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा–जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा।

राजभाषा नियमानुसार मूल्यांकन समितिः–

इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार निर्धारित करने के लिए मूल टिप्पण व आलेखन कार्य का मूल्यांकन करने हेतु किसी उच्च अधिकारी/संकाय–सदस्य की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा हिन्दी प्रकोष्ठ के एक अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है एवं यदि मूल्यांकन समिति आवश्यक समझे तो उपर्युक्त रिकार्ड को परीक्षण करने हेतु मांगा जा सकता है।

अतः सभी अनुभागों/विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपना सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करके इस प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाएं और संस्थान में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग दें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार (निर्धारित प्रपत्र)

1/7/2020

(विशाल कुमार गुप्ता)
सचिव, (विराकास)
एवं प्रभारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

टीपः किसी भी प्रकार की पृच्छा/सन्देह के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ के ईमेल–
hindicell@aiimsbhopal.edu.in पर सम्पर्क करें।

प्रतिलिपिः

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विराकास एम्स, भोपाल के समस्त सदस्य।
2. चिकित्सा अधीक्षक/उपनिदेशक (प्रशा.)/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियंता/प्रशासनिक अधिकारी एवं विधि अधिकारी, एम्स, भोपाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उनके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
3. निदेशक महोदय की प्रधान निजी सचिव, एम्स, भोपाल।
4. प्रभारी अधिकारी– आईटी सेल– इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया समस्त संलग्नकों सहित परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें और विरतण हेतु।
5. समस्त सूचना पटल, एम्स, भोपाल।
6. गार्ड फाइल।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल में अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने संबंधी रिकॉर्ड रखने हेतु प्रपत्र

श्री / श्रीमती / कुमारी .... की दिनांक ....

को समाप्त होने वाले सप्ताह में हिंदी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी।

क्र. सं.	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्टरों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया	हिंदी में लिखे गए टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या	राजभाषा नियमानुसार हिंदी में किए गए अन्य कार्य		उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
				संक्षिप्त ब्यौरा	शब्दों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7

संबंधित अधिकारी /कर्मचारी के हस्ताक्षर..

सत्यापन एवं अग्रेषित करने वाले संबद्ध प्राधिकारी

के मोहर सहित हस्ताक्षर..

हिंदी अनुभाग , अ.भा.आ.सं., भोपाल